भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324625
Email: (Env.) ro_env@rediffmail.com, (Forest) rocimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/06/2016/एफ.सी./1353

सेवा में, दिनांक:

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु कचनारे बाबा नाला पर 2 X 5 मीटर स्पान एवं 7.00 मीटर ऊंची आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट एवं कार्य मरम्मत हेतु 0.3 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या -FP/UP/Road/15564/2015

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त विषयांकित परियोजना में वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव प्रेषित किया है।

ऑनलाईन प्रस्ताव परिनिरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है

1. जिला बांदा में इको क्लास 1 दिखाया गया है जो कि गलत है।
2. प्रस्ताव के भाग 11 में परियोजना का वित्तीय ले आउटल 2.16 करोड़ दर्शाया गया है जबकि प्रति दिन एक भी व्यक्ति रोजगार लाभान्वित नहीं है। इसका क्या कारण है?
3. प्रस्ताव के भाग 1 के आगे के दो पृष्ठ अस्पष्ट है।
4. प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया ले आउट प्लान वन विभाग द्वारा प्रमाणित नहीं है एवं संबंधित मानचित्र भी अस्पष्ट है।
5. प्रस्ताव में संलग्न वन भूमि की अधिसूचना में यह नहीं दर्शाया गया है कि कौन सा भाग प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।
6. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित डिजीटल मानचित्र मुख्य बिन्दुओं के जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स के साथ नहीं उपलब्ध कराया गया है। कोर्डिनेट्स को सारिणी में उपलब्ध कराया गया है किन्तु इसे मानचित्र में बिन्दुओं के साथ लिंक नहीं किया गया है।
7. टोपोशीट अस्पष्ट है एवं इससे कुछ भी समझना मुश्किल है।
8. भाग 11 में पातन किये जाने वाले वृक्षों के ब्यौरे में 30 सेमी0 व्यास के वृक्षो की गणना नहीं की गयी है।
9. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का मानचित्र एवं योजना नहीं उपलब्ध करायी गयी है।
10. प्रस्ताव अधूरा है। मूल प्रस्ताव की भौतिक प्रति भी अपेक्षित है। यदि इसमें कोई और त्रुटि पायी जाती है तो उसको भी पत्र के द्वारा सूचित किया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. प्रमुख सचिव(वन),वन अनुभाग, छठां तल,बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा, उ0 प्र0।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 2, लोक निर्माण विभाग, बांदा, उ0 प्र0।
4. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

संख्या/म-2-40/14-2-2016
दिनांक : 15 फरवरी, 2016

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उठायें गये बिन्दुओं का निराकरण करते हुए कृपया संशोधित प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।